



2026:AHC:178859

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29789 वर्ष 2026

श्रीमती सुप्रिया शुक्ला

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदिका की ओर से अधिवक्ता : गौरव तिवारी, रमेश कुमार

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत आवेदन अपराध संख्या 253 सन् 2025, धारा 127(2), 308(5), 115(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना गंज, जनपद रामपुर में पंजीकृत प्रकरण में संबंधित न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदिका पूर्णतः निर्दोष है तथा किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.11.2025 की घटना के संबंध में आवेदिका सहित छह नामजद व्यक्तियों तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है तथा अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका ने न तो सूचनाकर्ता के साथ मारपीट की और न ही उससे किसी धनराशि की मांग की। आवेदिका की सह-अभियुक्त जौहरा उर्फ महक को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 22416 वर्ष अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



2026 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदिका महिला है तथा उसके विरुद्ध चार मामलों के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण वर्तमान आवेदन के अनुच्छेद संख्या 20 में दिया गया है और वह दिनांक 12.07.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका यह वचन देती है कि यदि उसे जमानत की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगी। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं है।

जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रबलतापूर्वक विरोध किया गया।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता तथा पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि आवेदिका विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आवेदिका श्रीमती सुप्रिया शुक्ला को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i). आवेदिका विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- (ii). आवेदिका अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/उसे भयभीत नहीं करेगी।
- (iii). आवेदिका निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
- (iv). आवेदिका ऐसे किसी अपराध का कारित नहीं करेगी, जो उस अपराध के समान हो जिसके कारित किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v). आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास के प्रमाण को स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

24 अगस्त, 2026

बृजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।